न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 11/2022

1. गोविन्दराम
2. पोकर राम
3. सुलतानाराम पिसरान स्व0 टीकु राम पुत्र राम लाल जाति नायक हरिजन निवासी चक 62 एन तहसील रायसिंहनगर।
4. परमेश्वरी पुत्री टीकूराम पत्नी भंवर लाल जाति नायक निवासी 7 ओ कलोनी तहसील श्री करणपुर।

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
2. मामराज पुत्र छतूराम पुत्र सांवल राम जाति बावरी निवासी चक 8 एस टी बी तहसील अनूपगढ।
3. शांति पुत्री छतूराम पुत्र सांवलराम
4. नानूडी पुत्री छतुराम पुत्र सांवलराम
5. रामेश्वरी पुत्री छतूराम पुत्र सांवलराम
6. लालकी पुत्री छतूराम पुत्र सांवलराम
7. गणपतराम पुत्र लक्ष्मी पुत्री छतूराम
8. कमलादेवी पुत्री लक्ष्मी देवी पुत्री छतूराम
9. चन्द्रकला पुत्री लक्षमीदेवी पुत्री छतुराम
10. रामा पुत्र रामप्रताप पुत्र लक्ष्मीदेवी पुत्री छतुराम जाति बावरी निवासी 8 एस टी बी तह0 अनूपगढ।
11. बिरादेव पुत्र रामप्रताप
12. सरोज पुत्री श्री रामप्रताप
13. मनोज पुत्री रामप्रताप
14. रेशमा पुत्री रामप्रताप पिसरान छतुराम अकवाम बावरी सकनाए 8 एस टी बी तह0 अनूपगढ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 211 तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर दिनांक 23-01-2013

उपस्थित : 1. श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

आदेश

दिनांक : 27.04.2022

अपीलांटस द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस स्टेट व छतूराम के विधिक उतराधिकारियों के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि छतु राम पुत्र सांवलराम को चक 62 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 40 के कि0 नं0 1 ता 25 का कुल 6.200 है0 रकबा सन् 1969 में अलॉट किया गया था जो उसने अपने जीवनकाल में जरिये

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner

इकरारनामा दिनांक 22–1–75 को चाननराम पुत्र मखनसिंह को विक्रय कर दिया था। चाननराम ने उक्त रकबा जरिये इकरारनामा दिनांक 16–6–88 को अपीलांटस के पिता टिकुराम को विक्रय कर दिया था। छतुराम के नाम से वर्ष 1977 में खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। अपीलांटस के पिता बाद के खरीददार होने व उक्त रकबा बिना पूर्व स्वीकृति के क्रय विक्रय होने के कारण धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही चली जिसमें दिनांक 4–4–08 को निर्णय होने पर स्व0 टिकुराम ने अपील सं0 259/08 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में पेश की जिसका निर्णय दिनांक 9–8–12 को किया जाकर मामला रिमाण्ड किया गया। टिकुराम का देहान्त दौराने कार्यवाही हो जाने से अपीलांटस जायज वारिस होने से उक्त जमीन पर काबिज हैं तथा हकदार हैं। दिनांक 28–2–13 को दौराने बातचीत पटवारी हल्का से पता चला कि उक्त रकबा का इंतकाल रेस्पो0 2 ता 14 ने अपने नाम से कैन्य में करवा लिया है। अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्टस को कोई सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांटस के पिता ने नियमन राशि जमा करवा रखी है तथा मामला आज भी अदालत में धारा 13ए का राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय होने के बाद रिमाण्ड होने पर चल रहा है। अतः अपीलान्टस प्रभावित पक्षकार हैं। न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की कोई पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन इंतकाल में लैण्ड रेकार्डस रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों धारा 119 से 126 तक की पालना नहीं की गई है। कानूनन कब्जा के अभाव में रेस्पो0 2 ता 14 के नाम से इन्तकाल ही नहीं हो सकता था। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे जबकि वे प्रभावित पक्षकार हैं इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्टस को कोई सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है और न ही सुना गया है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की कोई पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन इंतकाल में लैण्ड रेकार्डस रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों धारा 119 से 126 तक की पालना नहीं की गई है। कानूनन कब्जा के अभाव में रेस्पो0 2 ता 14 के नाम से इन्तकाल ही नहीं हो सकता था। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे जबकि वे प्रभावित पक्षकार हैं इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांटस टिकुराम के विधिक उत्तराधिकारीगण हैं। छतुराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 22–1–75 को भूमि का विक्रय चानन राम के पक्ष में किया गया था। चाननराम द्वारा दिनांक 16–6–88 को टिकुराम को भूमि का विक्रय कर दिया। अपीलांटस टिकुराम

के वारिसान हैं। टिकूराम के वारिसान अपील में हितबद्व एवं प्रभाावित पक्षकार हैं इसलिए उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। दिनांक 29–6–15 के आदेश से केता टिकूराम के पक्ष में दिनांक 16–6–88 को हुए विकय को विधिमान्य घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन इंतकाल विरासतन दर्ज किया गया है। यदि हस्तगत अपील स्वीकार होकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है तब भी इंतकाल रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि अपीलाधीन इंतकाल निरस्त होने की अवस्था में विवादित भूमि छतू राम के नाम से जायेगी। धारा 13ए उपनिदेशन के प्रकरण का इस इंतकाल की अपील से कोई संबंध नहीं है, वह एक पृथक मामला है। अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार न होने से अपील खारिज की जानी चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि छतु राम पुत्र सांवलराम को चक 62 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 40 के कि0 नं0 1 ता 25 का कुल 6.200 है0 रकबा सन् 1969 में अलॉट किया गया था जो उसने अपने जीवनकाल में जरिये बैयनामा दिनांक 22–1–75 को चाननराम पुत्र मखनसिंह को विकय कर दिया था। चाननराम ने उक्त रकबा दिनांक 16–6–88 को अपीलांटस के पिता टिकूराम को विकय कर दिया था। छतूराम के नाम से वर्ष 1977 में खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। अपीलाधीन इंतकाल जरिये विरासतन छतूराम के विधिक उतराधिकारीगण रेस्पो0 सं0 2 से 14 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। छतू द्वारा द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरिये पंजीकृत बैयनामा 22–1–75 को चाननराम को भूमि का विकय कर दिया था तथा चानन राम द्वारा दिनांक 16–6–1988 को भूमि का विकय टिकू राम को कर दिया था । उक्त बेचान को धारा 13 ए राजस्थान उपवनिवेशन के अन्तर्गत दिनांक 29–6–15 को टिकूराम के विधिक उतराधिकारियों के पक्ष में विधिमान्य घोषित किया जा चुका है इसलिए अपीलान्टस हस्तगत अपील में प्रभावी एवं हितबद्व पक्षकार होने से अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन भूमि का प्रथम विकय जब 22–1–1975 को पंजीकृत बैयनामा से तथा द्वितीय अन्तरण दिनांक 16–6–1988 को हो चुका था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक जॉच किये रेस्पोंडेन्टस के पक्ष में अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सादुलशहर
श्रीगंगानगर

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 23–01–13खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 27–04–22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner